



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.8.17	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य स्थानित रखा / P.O. सा. मोटिंग / बाहर / अग्रकाश में। पत्रावली वास्ते जिसका दिनांक 15-9-17 को पेश हो।	
15.9.17	पत्रावली पेश की गई। पत्रावली उपर वास्ते जहाँसि रि. 112/2017 पेश हुई।	
11.12.17	पत्रावली पेश की गई। पत्रावली उपर है। वास्ते जहाँसि रि. 512/18 को पेश की।	
5.12.18	पत्रावली पेश की गई। पत्रावली उपर है। वास्ते जहाँसि रि. 1413/18 को पेश की।	
14.3.18	पत्रावली पेश की गई। पत्रावली उपर है। वास्ते जहाँसि रि. 715/18 की पेश की। <u>राजस्व लोक अदालत / कोर्ट केम्प</u> <u>स्थान - उदयपुर - दिनांक 11/6/18</u> पत्रावली आठ सप्ताह लोक अदालत में पेश हुई। वादीगण उपर ही वादीगण की सुन गयी। वादीगण द्वारा बताया कि उनके कोर्ट अधिवक्ता नं. 1 के मध्य वादी समझौता हो गया है। इस कारण वे वाद को नहीं चलाया - चाहते, अतः दावा वापस लेना चाहते	बृजेश कुमार कीर लाल पारु वजंगलाल नेरानी भीरा हुकम की निवासी बुदायली

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>ही उपर पक्षकारों की पक्षानुवृत्ति पर हुकम नैदानी की जा डाल की गई/जा उक्त निकट रिश्ते में चान्चा/कैपल जगता थी</p> <p>पक्षकार उक्त को मानने नहीं चकाना चाहती बाद विद्वां ज(म) चाहते थी न्यायहित में अनुमति दी जाती थी</p> <p>अतः दावा वाकीगत विद्वां के आधार पर फैलत सुमाए लेकल बाद तारीख तफकीरु शरीफु दखल होए</p> <p>निर्णय आज दि. 11.6.2018 की राजस्व कोष अदालत के मय सुदायन) पर सुनाया।</p> <p style="text-align: center;">   </p>	